न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 86/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/483)

1. रंगलाल पुत्र श्रीनारायण दत्तक पुत्रा सोन्या जाति मीना, निवासी ग्राम जोध्या, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र कंचन
2. हरिमोहन पुत्र कंचन
3. धर्मी पुत्र कंचन
   जाति मीना, निवासी ग्राम जोध्या, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय, जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा विरुद्ध आदेश दिनांक 09.06.2023 प्रकरण उनवानी रामप्रताप बनाम राजस्थान सरकार अपील संख्या 24/2021 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री सुभाष शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मुकेश कुमार मीना, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 06.10.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 09.06.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 26.09.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय, ज़िला दौसा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 299 ग्राम अम्बाडी तहसील सिकराय, दिनांक 03.11.1999 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2023 द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर यह निर्णय पारित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.1999 नामान्तकरण संख्या 299 ग्राम अम्बाडी तहसील सिकराय को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में मूल खातेदार सोन्या पुत्र मोहरया जाति मीना निवासी जोध्या तहसील सिकराय के वारिसान, भूमि के रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजात की जॉच कर तथा समस्त वारिसान को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं।
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 09.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट रंगलाल पुत्र श्रीनारायण दत्तक पुत्रा सोन्या द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2023 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 09.06.2023 विधि प्रक्रिया एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि नायब तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 03.11.1999 विधि सम्मत पारित किया गया था, जिसमें अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 24.08.2021 को लगभग 22 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपील की तामील मात्र सतही तौर पर करवाई गई तथा तामील शाखा द्वारा मिथ्या तथ्यों पर आधारित अर्थात बिना आदेश के ही चस्पा करना बताकर अपीलान्ट की तामील मानकर उक्त आलौच्य आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पारित कर दिया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 ने मिथ्या तथ्यों पर आधारित एवं वास्तविक तथ्यों को छुपाकर उक्त अपील करीब 22 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पर्याप्त तामील किये ही एकपक्षीय आदेश दिनांक 09.06.2023 पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 के पिता श्री कंचन द्वारा नामान्तकरण दिनांक 03.11.1999 के विरूद्ध अपील सं. 44/1999 उनवानी कंचन पुत्र सावत्या बनाम रंगलाल व अन्य के नाम से दिनांक 24.11.1999 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलान्ट की ओर से जवाब आदि प्रस्तुत किया गया एवं उक्त अपील सं. 44/1999 आदेश दिनांक 04.08.2004 द्वारा खारिज फरमा दी गई अर्थात नामान्तकरण दिनांक 03.11.1999 को सही मानते हुए उसकी पुष्टि की गई। इस प्रकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व उनके माता-पिता के द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में पूर्व में ही अपील की जा चुकी थी, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज फरमा दिया था। बाबजूद इसके रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए एवं तथ्यों को छुपाते हुए उक्त अपील प्रस्तुत की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पर्याप्त तामील किये ही एकपक्षीय आदेश दिनांक 09.06.2023 पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त अपील सं. 44/1999 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा से खारिज हो जाने के पश्चात् एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात् स्व. कंचन के वारिसान श्रीमती केसरी देवी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्रीमान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील सं. 19/2004 उनवानी श्रीमती केसरी देवी व अन्य बनाम् रंगलाल व अन्य प्रस्तुत की गई, जो श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2005 को अदम् हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई। जिसके विरूद्ध आज दिन तक कोई कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि नामान्तकरण दिनांक 03.11.1999 सही एवं विधि सम्मत था। इसके विपरीत उक्त सभी को छुपाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा मिथ्या तथ्यों पर पुनः अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 24.08.2021 को प्रस्तुत कर दी एवं षड्यंत्रपूर्वक मिथ्या तामील आदि प्रस्तुत कर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय निर्णय दिनांक 09.06.2023 को पारित करवा लिया, जो खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 एवं उनके पिता की जानकारी में यह तथ्य शुरू से रहा है कि अपीलांट रंगलाल, श्री सोन्या का दत्तक पुत्र रहा है एवं सोन्या द्वारा अपीलांट के हक में वसीयत भी की थी, जिसका सक्षम न्यायालय के द्वारा प्रोवेट भी हो चुका था। तत्पश्चात् दिनांक 03.11.1999 को अपीलांट के पक्ष में नामान्तकरण खुल चुका था एवं तब से ही अपीलांट उक्त भूमि पर कब्जे काश्त होकर कास्त करता चला आ रहा है और वर्तमान में भी उक्त भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को इस बात की भलीभांति जानकारी रही है कि अपीलांट ने नामान्तकरण दिनांक 03.11.1999 से प्राप्त हुई उक्त भूमि में से 3 बीघा 7 बिस्वा हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की माता श्रीमती केसरी देवी एवं मांगी देवी पत्नि श्री रामसहाय, जम्बूरी देवी पत्नि श्री कन्हैयालाल को दिनांक 17.09.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र बेचान कर दी थी, जिस पर तकासमें का वाद भी विचाराधीन है। उक्त भूमि के विक्रय हस्तान्तरण की समस्त जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को होने के बावजूद उक्त सभी तथ्यों को छुपाकर पुनः अपील 2021 में प्रस्तुत कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा से आलोच्य आदेश दिनांक 09.06.2023 प्राप्त कर लिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 द्वारा की गई अपील की जानकारी दिनांक 08.09.2023 को

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

सिविल न्यायाधीश सिकराय जिला दौसा के नोटिस प्राप्ति से हुई है, जिसके पश्चात तुरन्त अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत कर दी है। रेस्पोडेन्ट को इस बात का भी भली भांति ज्ञान रहा है कि अपीलांट ने अपने हिस्से की उक्त भूमि पर बैंक UBOI शाखा बहरावण्डा खुर्द से ऋण भी प्राप्त कर रखा है। उक्त ऋण में भी बतौर गारन्टर रेस्पोडेन्ट सं. 1 है, इससे स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण दिनांक 03.11.1999 की शुरू से ही जानकारी रेस्पोडेन्ट सं 1 लगायत 3 को रही है। इसके बावजूद श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा को उक्त सभी तथ्यों को छुपाकर अपील प्रस्तुत की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 09.06.2023 पारित करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

जब पूर्व में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व उनके माता–पिता की ओर से अपीलान्ट के पक्ष में हुए नामान्तकरण दिनांक 03.11.1999 की अपील की जा चुकी थी एवं रेस्पोंडेन्ट की अपील भी खारिज हो चुकी थी। उसके पश्चात् पुनः अपील किये जाने का विधि में कोई प्रावधान नही है। उक्त सभी तथ्यों की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है, जो कि खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर फरमाये एवं अपीलांट पर हुई तामील पर ध्यान दिये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 09.06.2023 पारित कर गम्भीर कानूनी त्रुटि की है, अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 22 साल के विलम्ब के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विलम्ब को तय फरमाये बिना निर्णय दिनांक 09.06.2023 फरमाकर गम्भीर त्रुटि कारित की गई है। माननीय राज. उच्च न्यायालय, माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित अनेकानेक सिद्धान्तानुसार अपील तय करने से पूर्व दफा 5 मियाद अधिनियम को तय किया जाना आवश्यक है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णतयाः नजरअंदाज कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है, जो निरस्तनीय है। नामान्तररण संख्या 299 ग्राम अम्बाड़ी तहसील सिकराय के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के स्व. पिता कंचन द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसका निर्णय दिनांक 04.08.2004 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा किया जा चुका है, जिसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा तथ्यों को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई थी, जिसका निर्णय दिनांक 09.06.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत प्रकार से पारित किया गया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2023 को एकतरफा में अपीलांट के पीठ पीछे पारित किया गया है, जिसकी पूर्व में अपीलांट को कोई जानकारी नही हो सकी। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 08.09.2023 को अपीलांट के द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश सिकरायं के यहां प्रस्तुत वाद रामप्रताप बनाम रंगलाल आदि के नोटिस मिलने पर प्राप्त हुई, जिस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानकारी कर नकल प्राप्त करने में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई, जिससे जानकारी से अंदर मियाद अपील पेश की जा रही है। यदि अपील पेश करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत देरी क्षमा किये जाने योग्य है, जिस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा दिनांक 09.06.2023 को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के पिता कंचन एवं रामसहाय, कन्हैया आदि को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही व मौके पर कब्जे की जांच किये बिना तथा बिना गोदनामा की जांच किये गोदनामा का कोई सबूत लिये बिना प्रश्नगत आदेश दिनांक 03.11.1999 पारित किया गया है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग है। जिसके जरिये अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। अधिकार दावे के जरिये तय किये जा सकते है। हाल अपीलान्ट रंगलाल द्वारा प्रस्तुत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत दावा न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 27.10.1999 को खारिज किया जा चुका है। जिसमें हाल अपीलान्ट रंगलाल वादी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वादी उक्त दावे को नही चलाना चाहता है। इस आधार पर उक्त दावा को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

खारिज किया गया है। हाल अपीलान्ट रंगलाल द्वारा उद्घोषणा का दावा प्रश्नगत नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व ही कर चुका है और उक्त दावा खारिज हो गया तो दावा खारिज हो जाने के बाद नामान्तकरण जैसी फिस्कल प्रोसिडिंग में उसको अधिकार नहीं दिया जा सकता था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने में कानूनी गलती की है जो निरस्त करने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा का निर्णय दिनांक 09.06.2023 को यथावत रखा जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 08.09.2023 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 के पिता श्री कंचन द्वारा नामान्तकरण संख्या 299 दिनांक 03.11.1999 के विरूद्ध अपील सं. 44/1999 उनवानी कंचन पुत्र सावत्या बनाम रंगलाल व अन्य के नाम से दिनांक 24.11.1999 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी एवं उक्त अपील सं. 44/1999 आदेश दिनांक 04.08.2004 द्वारा खारिज फरमा दी गई अर्थात नामान्तकरण संख्या 299 दिनांक 03.11.1999 को सही मानते हुए उसकी पुष्टि की गई। इस प्रकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व उनके माता-पिता के द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में पूर्व में ही अपील की जा चुकी थी, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज फरमा दिया था। उक्त अपील सं. 44/1999 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा से खारिज हो जाने के पश्चात् एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात् स्व. कंचन के वारिसान श्रीमती केसरी देवी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से न्यायालय हाजा सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील सं. 19/2004 उनवानी श्रीमती केसरी देवी व अन्य बनाम् रंगलाल व अन्य प्रस्तुत की गई, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.06.2005 को अदम् हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई। जिसके विरूद्ध आज दिन तक कोई कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 299 दिनांक 03.11.1999 सही एवं विधि सम्मत था। बावजूद इसके रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को गुमराह करते हुए एवं तथ्यों को छुपाते हुए अपील संख्या 24/2021 उनवानी रामप्रताप व अन्य बनाम राजस्थान सरकार नामान्तरकरण संख्या 299 ग्राम अम्बाडी, तहसील सिकराय, जिला दौसा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2023 द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर यह निर्णय पारित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.1999 नामान्तकरण संख्या 299 ग्राम अम्बाडी, तहसील सिकराय को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में मूल खातेदार सोन्या पुत्र मोहरया जाति मीना निवासी जोध्या तहसील सिकराय के वारिसान, भूमि के रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजात की जॉच कर तथा समस्त वारिसान को सुनवाई

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

एवं सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। हमारा विनम्र मत है कि विवादग्रस्त आराजी सोन्या व श्रीनारायण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। सोन्या पुत्र मौहरिया द्वारा अपने हिस्से की 1/2 हिस्सा रंगलाल पुत्र श्रीनारायण के हक में अपंजीकृत वसीयत मिति असाढ बुढी 7, संवत 2051 के द्वारा प्रदत्त की गई थी। अपीलान्ट रंगलाल द्वारा इस वसीयत को माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश जिला दौसा से प्रोबेट करवाया गया है व प्रोबेट लेटर भी उसके पक्ष में दिनांक 08.02.1999 को जारी होने पर तहसीलदार सिकराय के आदेश क्रमांक भू0अ0/99/3977 दिनांक 21.10.1999 की पालना में नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 299 दिनांक 03.11.1999 खोला गया व तस्दीक किया गया। पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार ने स्वविवेक से उत्तराधिकार तय नही किये गये हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष पुनः नामान्तकरण संख्या 299 दिनांक 03.11.1999 ग्राम अम्बाडी तहसील सिकराय के विरूद्ध अपील संख्या 24/2021 उनवानी रामप्रताप बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत की गई है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को रेस ज्यूडिकेटा के तहत अपील खारिज की जानी चाहिये थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2023 पारित कर अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2023 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 299 दिनांक 3.11.1999 ग्राम अम्बाडी, तहसील सिकराय, जिला दौसा बहाल किया जाता है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2023 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 299 दिनांक 3.11.1999 ग्राम अम्बाडी, तहसील सिकराय, जिला दौसा बहाल किया जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर